न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/08/2021

दायर दिनांक 19.01.2021

उनवान

1. सुरेश चन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मोहल्ला कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

--- वादी

बनाम

1. कल्लूराम पुत्र चतरभुज जाति माली आयु वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. नानूराम पुत्र चतरभुज जाति माली आयु वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. देवीलाल पुत्र भगवान जाति माली आयु वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. प्रेमराज पुत्र मांगीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. वर्दीचन्द पुत्र परसा जाति माली आयु वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

--- प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांकः 02.01.2025

-:निर्णयः-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी संख्या 12, 13, 14, 15 कुल किता 04 कुल रकबा 1.00 हैक्ट0 वादी की खातेदारी एवं भौतिक आधिपत्य की होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज रेकार्ड है।

यह है कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2020 को तत्कालीन खातेदार रामा पुत्र डालू, जाति भाम्भी को संपूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गयी एवं विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय कपासन में पंजीबद्ध करवाया गया तथा तत्कालीन खातेदार रामा ने वादी को भौतिक आधिपत्य सुपूर्द कर दिया गया, इस प्रकार वाद वर्णित कृषि भूमि का वादी खरीद की दिनांक से उपयोग-उपभोग एवं फसल काश्त करता चला आ रहा है एवं इससे पूर्व वादी का पूर्वाधिकारी अर्थात रामा वादग्रस्त भूमि का उपयोग-उपभोग, फसल काश्त करता चला आया।

यह है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार जरिये नामान्तरणकरण संख्या 253 दिनांक 08.10.2020 को वादी के नाम स्वीकृत किया गया एवं राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया एवं

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

द्वारा फसल काश्त की गयी एवं वर्तमान में भी वादी द्वारा गेहूँ व चने की फसल काश्त की हुई है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात वादी को फसल काश्त करने एवं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर वादी ने 1,52,000/— बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कपासन जिला चित्तौडगढ के यहां से ऋण लेकर वादग्रस्त भूमि उक्त बैंक के पास रहन रखी अर्थात वादी ने वादग्रस्त भूमि पर उक्त राशि किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर रहन राशि ली गयी तथा उक्त राशि वादी ने वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने एवं फसल काश्त करने में लगाई गई है।

यह है कि कारणवाद दिनांक 02.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 ने वादी की वादग्रस्त भूमि में अनाधिकार पूर्वक प्रवेश कर तारबंदी कर अपनी कृषि भूमि में मिलाकर, अवैध कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण अवैधानिक रूप से कब्जा नही करें और न ही अन्य दीगर से करावे और न ही तारबंदी कर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास ही करें, न ही वादी की फसल को नुकसान पहुंचावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 27.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी श्री रामलाल राव द्वारा साक्ष्यवादी में सुरेश चन्द्र का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका हाल नक्शा ट्रैस प्रदर्श 1 व हाल जमाबंदी प्रदर्श 2 हुआ है। बहस वकील वादी सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में मवेशी घुसा कर नुकसान पहुँचा देते है एवं तारो की बाड को भी हानि पहुँचा देते है एवं वादी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा होते है। इस कारण प्रतिवादी संख्या एक से लगायत पाँच तक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादी खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी संख्या 12, 13, 14, 15 कुल किता 04 कुल रकबा 1.00 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तान्दाजी नहीं करें। अवैधानिक रूप से कब्जा नही करें। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश खण्डालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला चित्तौड़गढ़